

कार्यालय-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कबीरधाम (छ.ग.)

सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन

विज्ञापन क्रमांक-.2235

कबीरधाम, दिनांक-22/07/2026

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रारंभिक तिथि	23/07/2026 के समय 10.30 बजे से
आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	12/08/2026 के समय संध्या 5 बजे तक

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कबीरधाम (छ.ग.) में निष्पादन लिपिक, साक्ष्य लेखक एवं आदेशिका लेखक के रिक्त पदों पर अर्हता प्राप्त भारतीय नागरिकों और भारत सरकार द्वारा मान्य अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं जिनकी योग्यताएं नीचे दिए विवरण के अनुसार है-

निष्पादन लिपिक, साक्ष्य लेखक एवं आदेशिका लेखक (वेतन मैट्रिक्स का लेवल 04, 19,500-62,000)

पदों की संख्या-

निष्पादन लिपिक-02

साक्ष्य लेखक-04

आदेशिका लेखक-04

पदों का श्रेणीवार विवरण

क्र.	पदनाम	रिक्त पदों की संख्या	अनारक्षित पद					आरक्षित पद														
								अन्य पिछड़ा वर्ग					अनुसूचित जाति					अनुसूचित जनजाति				
			मुक्त	महिला	दिव्यांग	भूतपूर्व सैनिक	योग	मुक्त	महिला	दिव्यांग	भूतपूर्व सैनिक	योग	मुक्त	महिला	दिव्यांग	भूतपूर्व सैनिक	योग	मुक्त	महिला	दिव्यांग	भूतपूर्व सैनिक	योग
1	निष्पादन लिपिक	2	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	साक्ष्य लेखक	4	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	1	0	0	0	1
3	आदेशिका लेखक	4	1	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2

उपरोक्त तीनों पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता-

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण हो।
2. मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर में एक वर्षीय डिप्लोमा।
3. कम्प्यूटर में हिन्दी एवं अंग्रेजी मुद्रलेखन का ज्ञान।
4. यह अपेक्षित है कि उम्मीदवार को छत्तीसगढ़ी (बोली)/स्थानीय भाषा (बोली) का ज्ञान होना चाहिए।

महत्वपूर्ण टीप:-

1. पदों की संख्या परिवर्तनीय है। उपरोक्त सभी पद सहायक ग्रेड-03 संवर्ग के हैं।
2. जिस श्रेणी के उम्मीदवारों में महिला, दिव्यांग (07% आरक्षित) एवं भूतपूर्व सैनिक के पद आरक्षित हैं, यदि उक्त पद पर उसी श्रेणी के योग्य उम्मीदवार नहीं पाए जाते हैं तो उस श्रेणी के मुक्त पदों से वरीयता के आधार पर चयन किया जाएगा।
3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पद केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी के लिए आरक्षित हैं। अन्य राज्य के आरक्षित वर्ग के प्राप्त आवेदन अनारक्षित वर्ग के अंतर्गत विचारित किए जाएंगे।
4. महिलाओं के लिए आरक्षित पद केवल छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी महिला अभ्यर्थियों के लिए ही लागू है।
5. पदों के संबंध में विज्ञापन/भर्ती तथा नियुक्ति माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में विचाराधीन **S.L.P.(C) No.19668/2022** में पारित अंतिम आदेश के अध्याधीन होगी।

महत्वपूर्ण-

यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी, कि वे विज्ञापन दिनांक को आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं तथा शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की

समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन-पत्र भेजें। परीक्षा में सम्मिलित किए जाने का यह अर्थ कदापि नहीं होगा कि, आवेदक को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जाएगी। नियुक्ति के बाद भी अभ्यर्थी द्वारा कोई सारवान जानकारी छिपाये जाने अथवा उनके अनर्ह होने की स्थिति प्रकट होने पर उसकी सेवा कभी भी समाप्त की जा सकेगी।

आयु सीमा एवं पात्रता की अन्य शर्तें:-

- (1) रोजगार कार्यालय में उनका पंजीयन जीवित हो (कार्यरत शासकीय सेवकों को छूट होगी)।
 - (अ) कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
 - (ब) कोई पुरुष उम्मीदवार जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो, और कोई भी महिला उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले ही एक पत्नी जीवित हो वह नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।
 - (स) जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
 - (द) दिनांक 01 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली गई हो परन्तु 30 वर्ष से अधिक न हो। परन्तु छत्तीसगढ़ के स्थानीय/मूल निवासी अभ्यर्थी के लिये उच्चतर आयु सीमा 35 वर्ष होगी। छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर), महिला इत्यादि के लिए अधिकतम आयु सीमा में राज्य शासन द्वारा जो छूट दी गई है, वह छूट यथावत लागू रहेगी, तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु के संबंध में समय-समय पर जारी निर्देशों के आधार पर अभ्यर्थियों को आयु में दी जाने वाली सभी प्रकार की छूट को सम्मिलित करने के बाद अधिकतम आयु **45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।** छत्तीसगढ़

राज्य के बाहर अन्य राज्यों के आवेदकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष होगी। आयु संबंधी प्रमाण के लिए हाईस्कूल तथा हायर सेकेण्डरी के प्रमाण पत्र मान्य होंगे। जो अभ्यर्थी उच्चतर आयु सीमा में छूट चाहते हैं, उन्हें संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि अभ्यर्थी कोई अन्य छूट आयु के संबंध में लेना चाहता है, तो राज्य सरकार के आयु सीमा के निर्देशों का उल्लेख एवं नियम बताते हुए दस्तावेज संलग्न कर छूट प्राप्त कर सकता है।

(2) उच्चतर आयु सीमा में छूट:-

निम्नलिखित श्रेणी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में निम्नानुसार छूट रहेगी:-

- 2 एक (1)- यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति या जनजाति का है, तो आयु सीमा में अधिकतम 05 वर्ष तक की छूट दी जाएगी।
- 2 एक (2)- यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रिमिलेयर) का है, तो सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक/एफ-7-26/93/3-1 आ.प. दिनांक 20.01.1994 के अंतर्गत आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष तक की छूट दी जावेगी।
- 2 (एक) (3)- छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी/अस्थायी/वर्कचार्ज या कंटिन्जेन्सी पेड कर्मचारियों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगमों/मण्डलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतम आयु सीमा 43 वर्ष तक रहेगी। यही अधिकतम आयु परियोजना क्रियान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी स्वीकार्य होगी।
- 2 (एक) (4)- ऐसा अभ्यर्थी जो छंटनी किया गया सरकारी सेवक हो, अपनी आयु में उसके द्वारा पहले की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 07 वर्ष की कालावधि, भले ही यह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा,

परंतु उसके परिणामस्वरूप अधिकतम आयु सीमा 03 वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण:-

छंटनी किए गए शासकीय सेवक, से तात्पर्य है जो इस राज्य की अस्थायी सेवा में लगातार कम से कम 06 माह तक रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्टर्ड कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक 03 वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया है।

2 (एक) (5)- ऐसे अभ्यर्थी को, जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, किन्तु उसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह अधिकतम आयु सीमा से 03 वर्ष से अधिक न हो।

2 (एक) (6)- महिलाओं के लिए आयु सीमा में शासन के नियमानुसार 10 वर्ष शिथिलनीय होगी। जो कि, उनके वर्ग में मिलने वाली आयु सीमा में छूट के अतिरिक्त होगी। विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिए उच्चतम आयु सीमा में 05 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जावेगी। इस अधिकतम आयु सीमा तथा छूट की सीमा को मिलाकर अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

2 (एक) (7)- सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-1-2/2002/1/3 दिनांक 02.06.2004 के अनुसार शिक्षाकर्मियों को शासकीय सेवा में उतने वर्ष की छूट दी जाएगी, जितने वर्ष शिक्षाकर्मियों के रूप में सेवा की है इसके लिए 06 माह से अधिक सेवा की अवधि एक वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी। जिन वर्गों को पूर्व से ही आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जा रहा है, (अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विधवा/परित्यक्ता महिला आदि) वे इस निर्देश से प्रभावित नहीं होंगे।

2 (एक) (8)– स्वयं सेवी नगर सैनिकों (वालेन्टरी होमगार्ड) एवं अनायुक्त अधिकारियों के मामले में अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा इस प्रकार की सेवा की उतनी कालावधि तक छूट 08 वर्ष की सीमा में अध्याधीन रहते हुए दी जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 43 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

2 (एक) (9)– छ.ग. शासन के स्थायी/अस्थायी कर्मचारियों के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा 38 वर्ष निर्धारित है।

2 (दो) (1)– आदिम जाति हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अन्तरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पतियों के संवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक-सी.3/10/85/3/1 दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जाएगी ।

2(दो) (2)– विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक-सी.3/18/85/3/1 दिनांक 03.09.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जाएगी ।

2 (दो) (3)– उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक-एफ 6-10/2004/1-9 दिनांक 06.07.2010 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जाएगी ।

टीप:- (1) बिंदु क्रमांक 2 (एक) में अधिक लाभकारी वाली एक ही छूट मिलेगी ।

(2) बिंदु क्रमांक 2 (दो) के अंतर्गत प्रोत्साहन स्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यों/योजनाओं के अंतर्गत दी गई छूटों में यदि कोई आवेदक एक से अधिक छूटों का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में सर्वाधिक (अधिकतम) लाभ वाले किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिए देय छूट मिलेगी। यह छूट बिंदु क्रमांक (एक) में दी गई

विशेष छूट के अतिरिक्त होगी।

(3) उपरोक्त 3 में उल्लेखित उच्चतम आयु सीमा में छूट की पात्रता, ततसंबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही होगी।

नोट:-

किसी भी उम्मीदवार को किसी भी आधार या एक से अधिक आधार पर छूट का लाभ दिये जाने के उपरांत भी शासकीय सेवा में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया-

1. आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप अनुसार ए-4 साईज पेपर में पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र शासकीय कार्य दिवस में दिनांक 23/07/2026 के प्रातः 10.30 बजे से 12/08/2026 के संध्या 5 बजे तक बंद लिफाफा में जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पद का नाम एवं आवेदक का वर्ग लिखा हो, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कबीरधाम (छ.ग.) के नाम से स्पीड पोस्ट के माध्यम से अथवा न्यायालय के कक्ष क्रमांक 50 में रखे ड्रॉप बाक्स में डालकर प्रस्तुत करें। दिनांक 12/08/2026 की संध्या 5 बजे के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवासी, रोजगार कार्यालय पंजीयन आदि से संबंधित प्रमाण पत्र की स्वयं की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा।
2. ई-मेल या कोरियर के माध्यम से भेजे गए आवेदन मान्य नहीं किए जाएंगे।
3. विज्ञापन एवं आवेदन पत्र के प्रारूप की प्रति प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कबीरधाम की वेबसाइट <https://kabirdham.dcourts.gov.in/> से डाउनलोड की जा सकती है। निर्धारित प्रारूप से भिन्न प्रारूप में प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त किए जाएंगे।
4. उपरोक्त सभी पद सहायक ग्रेड-03 संवर्ग के हैं। अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अगर तीनों पद के लिए यदि आवेदन करना चाहते हो तो अलग-अलग आवेदन

प्रस्तुत करें एवं लिफाफा के ऊपर भाग में आवेदित पद का नाम स्पष्ट रूप से अंकित करें।

5. जन्मतिथि की सत्यता हेतु जन्म प्रमाण-पत्र अथवा हाई स्कूल तथा हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने की अंकसूची की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।
6. जो अभ्यर्थी शासकीय सेवा/निगम/मण्डल/उपक्रम में कार्यरत हैं, उन्हें नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
7. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आवेदन पत्र के साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए स्थायी जाति प्रमाण पत्र (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग) एवं मूल निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उन्हें अनारक्षित वर्ग के विरुद्ध विचारित किया जाएगा। उक्त प्रमाण पत्रों की छायाप्रति को स्वप्रमाणित कर आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा।
8. आवेदन पत्र के साथ स्वयं का एक फोटो पासपोर्ट साईज का जिसके पृष्ठ भाग पर आवेदक स्वयं का नाम अंकित कर एवं स्वयं का पूर्ण नाम एवं पता लिखे हुये एक लिफाफे पर रु.5/- की डाक टिकट चस्पा करते हुये आवश्यक रूप से संलग्न करें।
9. बिना हस्ताक्षर के प्राप्त आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा और उसे निरस्त माना जाएगा।
10. आवेदक को चाहिए कि वह विज्ञापन में दिए गए निर्देशों तथा आवेदन पत्र में वांछित सभी जानकारी अत्यंत सावधानीपूर्वक सही एवं पूर्ण जानकारी भरे। आवेदन पत्र में त्रुटि तथा अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना सूचना दिए चयन के किसी भी स्तर पर आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा।
11. प्राप्त आवेदन पत्रों की परीक्षण उपरांत पात्र एवं अपात्र आवेदकों की सूची का प्रकाशन जिला न्यायालय कवर्धा के वेबसाइट <https://kabirdham.dcourts.gov.in> तथा सूचना पटल पर प्रकाशित किया जायेगा। उक्त प्रकाशन के संबंध में यदि कोई आपत्ति हो तो आवेदक 07 दिवस के भीतर स्वतः आकर लिखित आपत्ति चयन समिति के

समक्ष पेश कर सकेंगे। आपत्ति के निराकरण पश्चात अंतिम पात्र सूची वेबसाइट पर प्रकाशित की जायेगी। अभ्यर्थियों को लिखित/कौशल परीक्षा के लिए उपस्थित होने हेतु सूचना भी उपर्युक्त वेबसाइट पर दी जावेगी, पृथक से अन्य कोई सूचना नहीं दी जायेगी।

नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया -

1. निष्पादन लिपिक, साक्ष्य लेखक एवं आदेशिका लेखक

(अ) प्रथम चरण-लिखित परीक्षा-

सामान्य ज्ञान, कम्प्यूटर, इंटरनेट, छत्तीसगढ़ संबंधी, समसामयिक इत्यादि विषयों के बहुविकल्पीय 50 प्रश्नों की 100 अंक की लिखित परीक्षा आयोजित की जावेगी। प्रत्येक प्रश्न पर 02 अंक निर्धारित होंगे। परीक्षा अवधि 1 घंटे की होगी। लिखित परीक्षा मात्र कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों के छंटनी के लिए होगी। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जावेगी तथा मेरिट अंकों के आधार पर कुल रिक्त पदों के 15 गुना अभ्यर्थियों को अर्ह किया जावेगा एवं कौशल परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जावेगा। लिखित परीक्षा की मेरिट सूची में अंतिम क्रमांक पर एक समान अंक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जाएगा।

(ब) द्वितीय चरण-कौशल परीक्षा-

उम्मीदवारों को लगभग 250 शब्द के हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 10 मिनट की सीमा में शुद्धता से कम्प्यूटर (Ubuntu Linux) सिस्टम में युनिकोड टाईप करना होगा। प्रत्येक त्रुटि के लिए 1/4 अंक काटा जाएगा, जो हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ, सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा। कौशल परीक्षा 100 अंक की होगी।

1. यदि दो या दो से अधिक उम्मीदवार समान अंक प्राप्त करते हैं, तो आयु में बड़े (पहले जन्म लेने वाले) उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी। यदि उनकी जन्म तिथि भी समान है, तो उनके द्वारा लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी। यदि लिखित परीक्षा में भी समान अंक पाया जाता है तो जिनका स्नातक में अंक अधिक होगा उसको वरीयता दी जाएगी।
2. अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होने पर कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की छंटनी के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी उसे आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि के उपरांत जिला न्यायालय कवर्धा के वेबसाइट <https://kabirdham.dcourts.gov.in/> पर अपलोड किया जाएगा।

चयन सूची तथा प्रतीक्षा सूची-

कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर वर्गवार मेरिट सूची तैयार की जाएगी। जिसमें से अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की चयन सूची एवं वर्गवार प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी। प्रतीक्षा सूची परिणाम घोषित होने की तिथि से एक वर्ष तक प्रभावशील रहेगी। समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जिस अभ्यर्थी की जन्मतिथि पहले होगी उसे वरीयता दी जाएगी। यदि उनकी जन्म तिथि भी समान है, तो उन उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी जिनके स्नातक में अंक अधिक होंगे।

अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण जानकारी

प्रत्येक आवेदक को चाहिए कि वह विज्ञापन में दिए गए निर्देशों तथा आवेदन पत्र में वांछित सभी जानकारी देखकर अत्यंत सावधानीपूर्वक सही एवं पूर्ण जानकारी भरे। यदि आवेदन पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण दी जाती है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आवेदक की होगी। त्रुटि अथवा अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना पूर्व सूचना दिए आवेदन पत्र, चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा।

अन्य आवश्यक सूचनाएं-

1. जिला न्यायालय स्थापना कबीरधाम में निष्पादन लिपिक, साक्ष्य लेखक एवं आदेशिका लेखक के रिक्त पदों के भर्ती किये जाने के संबंध में जारी विज्ञापन वेबसाइट <https://kabirdham.dcourts.gov.in/> पर भी देखा जा सकता है।
2. यदि किसी कारण से अभ्यर्थी को परीक्षा की सूचना विलम्ब से प्राप्त होती है तो उसके लिए कार्यालय की जिम्मेदारी नहीं रहेगी। इस संबंध में अभ्यर्थी स्वयं सचेत रहे और पूर्वोक्त वेबसाइट का समय-समय पर अवलोकन करते रहें।
3. जो अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया एवं परीक्षा को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का प्रयास करेंगे, उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर निरस्त कर दी जाएगी।
4. अभ्यर्थी को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
5. चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक नहीं होगा, जब तक कि, नियुक्तिकर्ता अधिकारी का ऐसी जांच के बाद, जो आवश्यक समझी जाए, इस बात से समाधान न हो जाए कि, उम्मीदवार सेवा में नियुक्ति के लिए सब प्रकार से योग्य है।
6. चयन उपरांत यदि कोई जानकारी असत्य पायी जाती है, तो की गयी नियुक्ति समाप्त कर दी जायेगी साथ ही संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
7. चुने गए अभ्यर्थी की नियुक्ति सिविल जिला कबीरधाम के अंतर्गत किसी भी न्यायालय अथवा अनुभाग में की जा सकेगी।
8. चयनित उम्मीदवार की नियुक्ति तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जावेगी। परिवीक्षा अवधि सफलता पूर्वक पूर्ण न होने पर उसे आगे केवल एक वर्ष के लिये बढ़ाया जा सकेगा। इसके पश्चात भी यदि यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी के द्वारा अपनी परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं किया गया तो उसकी सेवाएं बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकेगी।
9. चयनित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
10. आरक्षित पद के विरुद्ध चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति के पश्चात कार्यभार ग्रहण करते

समय राज्य शासन के ज्ञापन दिनांक 29/06/2013 में दिए गए प्रारूप में अनुसार जाति (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग) के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनका चयन/नियुक्ति निरस्त किया जाएगा।

11. चयनित उम्मीदवार को जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वस्थता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करने के बाद ही सेवा में लिया जाएगा। शारीरिक या मानसिक रूप से अस्वस्थता या दोष, जो पद या सेवा के कर्तव्य पालन में बाधा डालने वाला हो, पाये जाने पर वह नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
12. चयनित उम्मीदवारों के नियुक्ति आदेश उपरांत कार्यभार ग्रहण किए जाने के पश्चात नियमानुसार पुलिस सत्यापन कराया जाएगा, आपराधिक गतिविधियों में शामिल पाए जाने की दशा में नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
13. चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय प्रधान जिला न्यायाधीश, जिला कबीरधाम का होगा।
14. चयन प्रक्रिया के संबंध में प्रधान जिला न्यायाधीश, जिला कबीरधाम का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
15. यह विज्ञापन बिना किसी कारण बताए किसी भी समय निरस्त किया जा सकेगा।
16. लिखित/कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र, परीक्षा की तिथि, समय एवं स्थान की जानकारी जिला न्यायाधीश, जिला कबीरधाम की वेबसाइट <https://kabirdham.dcourts.gov.in/> पर अपलोड की जाएगी। अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र डाउनलोड कर परीक्षा हेतु निर्धारित स्थान पर उपस्थित रहना होगा। पृथक से कोई प्रवेश पत्र कार्यालय से प्रेषित नहीं किया जाएगा। प्रवेश पत्र में अभ्यर्थी के छायाचित्र कॉलम में वर्तमान रंगीन फोटो चस्पा एवं स्वहस्ताक्षरित कर प्रस्तुत करना होगा। साथ ही पहचान संबंधी दस्तावेज यथा आधार कार्ड, वाहन चालन लाईसेंस, मतदाता परिचय पत्र की मूल प्रति के साथ उपस्थित होना होगा, अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जा सकेगा।

17. लिखित/कौशल परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र पर अंकित तिथि, समय एवं स्थान पर उपस्थित रहना होगा। उन्हें किसी प्रकार का यात्रा व्यय देय नहीं होगा। अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने की स्थिति में परीक्षा एक से अधिक पाली में ली जा सकेगी।
18. लिखित/कौशल परीक्षा में पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना का कोई प्रावधान नहीं है।
19. कौशल परीक्षा से संबंधित अभिलेख अंतिम चयन परिणाम के 06 माह के पश्चात विनिष्टीकरण किए जाने योग्य होंगे तथा उक्त अवधि के पश्चात सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत चयन प्रक्रिया से संबंधित किसी भी दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि/निरीक्षण के लिए आवेदन मान्य नहीं होगा।
20. भर्ती परीक्षा का रिकॉर्ड चयन के परिणाम की घोषणा के छह महीने बाद नष्ट (Eliminate) कर दिया जाएगा और उसके बाद सूचना का अधिकार (R.T.I.) अधिनियम के तहत चयन प्रक्रिया से संबंधित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति या निरीक्षण के लिए किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
21. सक्षम प्राधिकारी के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी चरण में संपूर्ण या भर्ती प्रक्रिया के किसी भी हिस्से को रद्द करने, वापस लेने या संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित है।
22. यदि उपरोक्त शर्तें स्वीकार्य हैं, तभी उम्मीदवार को उक्त पद के लिए आवेदन करना चाहिए।



अध्यक्ष

चयन समिति

कार्यालय: जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कबीरधाम
जिला-कबीरधाम (छ.ग.)

आवेदन पत्र का प्रारूप

(निष्पादन लिपिक, साक्ष्य लेखक एवं आदेशिका लेखक के पदों पर नियुक्ति हेतु)

प्रति,

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कबीरधाम

जिला-कबीरधाम (छत्तीसगढ़)

आवेदक का
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साइज रंगीन फोटो
(नाम व दिनांक
सहित)

1. आवेदित पद का नाम -
2. आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में) -
- (अंग्रेजी के ब्लॉक लेटर्स में) -
3. पिता/पति का नाम -
4. (अ) जन्म तिथि अंकों में दिनांक माह वर्ष
शब्दों में -
- (ब) दिनांक 01/01/2026 को आयु:- वर्ष माह दिन
5. लिंग- पुरुष, /महिला/तृतीय लिंग -
6. (अ) पत्र व्यवहार का वर्तमान पता -
(हिन्दी में)
.....
.....
- (ब) स्थायी पता -
.....
.....
7. आवेदक का मोबाईल नंबर -
8. रोजगार कार्यालय का नाम एवं जीवित पंजीयन -
क्रमांक दिनांक (सत्यापित प्रति संलग्न करें)
9. क्या अधिकतम आयु सीमा में छूट चाहते हैं ?
यदि हां, तो किस श्रेणी से उल्लेख करें।
(प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें) -

10. क्या आवेदक छ.ग. का मूल निवासी है? हां/नहीं

(यदि हां, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास

प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें।)

-

11. क्या आवेदक छ.ग. शासन द्वारा छ.ग. के लिये

घोषित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य

पिछड़ा वर्ग का सदस्य है? हां/नहीं

-

(यदि हां, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी प्रमाण-पत्र की

सत्यापित प्रति संलग्न करें।)

12. क्या आवेदक दिव्यांग है? हां/नहीं

-

(यदि हां, तो दिव्यांगता संबंधी जिला मेडिकल बोर्ड का

प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें।)

13. दिव्यांगता का प्रकार एवं प्रतिशत

-

14. क्या आवेदक भूतपूर्व सैनिक है? हां/नहीं

-

(यदि हां, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र की

सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।)

15. क्या आवेदक विवाहित है ? हां/नहीं

-

16. यदि विवाहित है, तो विवाह की तिथि

-

17. जीवित बच्चों की संख्या -

क	नाम	लिंग	जन्मतिथि
1	2	3	4

18. शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता:-

क	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	बोर्ड/वि.वि. का नाम	संकाय	प्राप्तांक/पूर्णांक	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						

4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

19 क्या आवेदक शासकीय/अर्धशासकीय

संस्था में सेवारत है? हां/नहीं -

(यदि हां, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।)

20. क्या आवेदक/आवेदिका के विरुद्ध कोई दायित्व प्रकरण

किसी पुलिस थाने/न्यायालय में अनुसंधान/विचारण हेतु

लंबित है अथवा किसी न्यायालय में निराकृत हो चुका है?

यदि हां, तो संबंधित अधिनियम एवं धारा सहित प्रकरण

क्रमांक एवं निर्णय आदि की जानकारी स्पष्ट रूप से

अनिवार्यतः उल्लेख करें:-

21. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची:-

(स्वप्रमाणित) प्रमाण पत्र

संलग्न है/संलग्न नहीं

1. हाई स्कूल प्रमाण पत्र

2. हायर सेकेंडरी स्कूल प्रमाण पत्र

3. स्नातक प्रमाण पत्र

4. स्नातकोत्तर प्रमाण पत्र

5. कम्प्यूटर योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र

6. छ.ग. का मूल निवास प्रमाण पत्र

7. छ.ग. का स्थायी जाति प्रमाण पत्र

8. जीवित रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र

9. आधार कार्ड/पेन कार्ड/वोटर कार्ड/ड्रायविंग लाईसेंस की प्रति

10. अन्य

आवेदक का हस्ताक्षर

(नाम)

घोषणा

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि इस प्रपत्र में दिये गये समस्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य हैं, और यदि ये झूठे पाये जाते हैं, तो मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति निरस्त किए जाने योग्य होगी।

दिनांक

स्थान

आवेदक का हस्ताक्षर

(नाम))

पता: -

मोबाईल नं. -

ई-मेल: -